

मालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राजस्थान)

जसीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 60/2015 ( EX.प्रकरण रावि. 16/2017 डी) Gcms No. 2015/00046

प्राथमिक तिथि : 23.07.2015

प्राथमिक डिक्री दिनांक: 20.05.2016 फाईनल डिक्री दिनांक 01-09-2021

वादी :-

देवाराम पुत्र चेनाजी जाति मीणा

निवासी कोठार तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. सकाराम पुत्र धर्माजी उर्फ धरमाजी
2. लक्ष्मण पुत्र धर्माजी उर्फ धरमाजी
3. चौपी बेवा धर्मा उर्फ धरमाजी जातिगण मीणा  
निवासीगण कोठार तहसील बाली जिला पाली (राज)
4. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :-

1. श्री ओमदवे अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री मदनलाल परिहार अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01 से 03
3. नायब तहसीलदार..... परोकार सरकार

-:: निर्णय ::-

दिनांक : 01-09-2021

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम भन्दर पटवार हल्का भन्दर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 527, 528, 529 कुल खसरा-03 कुल रकबा 1.60 हैक्टर किस्म गै.मु., जा.सो.चा. सो कुल वार्षिक लगान 19.24 रूपये के संबंध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश किया। अपने वादपत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के संयुक्त सह खातेदारी की भूमि होने तथा वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का 1/2 हिस्सा निहित होने का कथन करते हुये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 की प्रमाणित प्रति पेश की गई।

प्रकरण में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2016 कैंप कोर्ट भन्दर में पक्षकारान् व वकूलाय को सुनने के बाद दिनांक 20.05.2016 को रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के मध्य वादग्रस्त भूमि के विभाजन के संबंध में प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने पर दिनांक 2.06.2017 को वकील वादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने से पुनः रिपोर्ट तहसीलदार, बाली से प्रस्तुती के निर्देश दिये गये। जिसकी पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक/ भू.अ. /2021/ 1415 दिनांक 12.08.2021 से पुनः विभाजन रिपोर्ट निम्नानुसार पक्षकारों के हिस्से बंट में भूमि रखते हुये पेश की गई:-

क्रं.सं०	नाम खातेदार	विवरण भूमि				नजारी नक्शा में दर्शित रंग
		खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	
01	देवा पुत्र चेनाजी जाति मीणा सा.देह खातेदार	528	0.7600	चा.सो. 0.30 जा. सो. 0.46	6.00 3.22	केरारिया
02	चौपी देवी पत्नि धरमा 1/3 लक्ष्मण पुत्र धरमा 1/3 सकाराम पुत्र धरमा 1/3 तमाम जाति मेण सा. कोठार	528/1	0.5000	चा.सो. 0.21 जा. सो. 0.29	4.20 2.03	जामूनी
		529	0.2600	चा.सो. 0.10 जा. सो. 0.16	2.00 1.12	
		02	0.76		9.3500	
03	देवा पुत्र चेना 1/2 चौपीदेवी पत्नि धरमा 1/6 लक्ष्मण पुत्र धरमा 1/6 सकाराम पुत्र धरमा 1/6 तमाम जाति मेण सा. कोठार खातेदार शामलाती	527	0.0400	गै.मु. बेरा	-	गुलाबी
		528/2	0.0100	चा. सो. 0.01	0.2000	
		529/1	0.0300	चा.सो. 0.02 जा.सो. 0.01	0.4000 0.0700	
		03	0.08		0.6700	

पेज लगातार.....02

तहसीलदार, बाली से पुनः विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई। दोनों पक्षों के वकूलाय ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रेषित विभाजन रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात ग्राम भन्दर पटवार हल्का भन्दर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 527, 528, 529 कुल खसरा-03 कुल रकबा 1.60 हैक्टर किरम गै.मु. जा.सो.चा.सो कुल वार्षिक लगान 19.24 रूपये के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:-

क्रं.सं०	नाम खातेदार	विवरण भूमि				नजरी नक्शा में दर्शित रंग
		खसरा नंबर	रकबा	किरम	लगान	
01	देवा पुत्र चेनाजी जाति मीणा सा.देह खातेदार	528	0.7600	चा.सो. 0.30 जा. सो. 0.46	6.00 3.22	केसरिया
02	चौपी देवी पत्नि धरमा 1/3 लक्ष्मण पुत्र धरमा 1/3 सकाराम पुत्र धरमा 1/3 तमाम जाति मेण सा. कोठार	528/1	0.5000	चा.सो. 0.21 जा. सो. 0.29	4.20 2.03	जामूनी
		529	0.2600	चा.सो. 0.10 जा. सो. 0.16	2.00 1.12	
		02	0.76		9.3500	
03	देवा पुत्र चेना 1/2 चौपीदेवी पत्नि धरमा 1/6 लक्ष्मण पुत्र धरमा 1/6 सकाराम पुत्र धरमा 1/6 तमाम जाति मेणा सा. कोठार खातेदार शामलाती	527	0.0400	गै.मु. वेरा	-	गुलाबी
		528/2	0.0100	चा. सो. 0.01	0.2000	
		529/1	0.0300	चा.सो. 0.02 जा.सो. 0.01	0.4000 0.0700	
		03	0.08		0.6700	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्व का भाग माना जावे। लगान राशि 19.24 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर डिक्री पर्व जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरगीम के लिये तहसीलदार, बाली पटवारी हल्का भन्दर को लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

( श्री अतुल प्रकाश )

आई.ए.एस.

पदेन सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक

को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बाली